आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :कुण्डा
वाद संख्या :-3293/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202570103293
ए०पी० सिंह महाविद्यालय दवारा प्रबंधक अजीत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य दवारा जिलाधिकारी आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी ए0पी0 सिंह महाविद्यालय महराजपुर, हथिगवाँ द्वारा प्रबंधक अजीत सिंह सुत दीनानाथ सिंह नि0–भोजपुर, परगना–रामपुर, तहसील–लालगंज अझारा, जनपद–प्रतापगढ़ के प्रार्थना पत्र जो आर0सी0 प्रपत्र 25 पर प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि ग्राम–महराजपुर, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा की वर्तमान खतौनी गाटा सं0 99घ/1.265हे0 में से 0.316हे0 संक्रमणीय भूमिधरी भूमि है। उक्त भूमि बाउण्ड्री से घिरी है तथा वादी द्वारा 6 कमरे का निर्माण किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, अभिलेख में वादी का नाम सहखातेदार के रूप से दर्ज है, उक्त भूमि में 0.316हे0 भूमि को वादी द्वारा अकृषिक/व्यवसायिक/आवासीय दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वाद दर्ज कर पक्षों को नोटिस जारी की गयी। जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। तहसील से जाँच आख्या मंगाई गयी। राजस्व लेखपाल की आख्या दिनांक 28.06.2022 राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 29.06.2022 व तहसीलदार कुण्डा की आख्या दिनांक 29.06.2022 शामिल पत्रावली है। जिसमें कहा गया है कि भूमि स्थित ग्राम–महराजपुर, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा की वर्तमान खतौनी गाटा सं0 99घ/1.265हे0 में से 0.316हे0 संक्रमणीय भूमिधरी भूमि है। उक्त भूमि बाउण्ड्री से घिरी है तथा वादी द्वारा 6 कमरे का निर्माण किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके स्थल का फोटोग्राफ भी संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार की संलग्न आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की सम्भावना नहीं है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि हाइवे/किसी प्रयोजन में प्रभावित नहीं है। अभिलेखों तथा तहसीलदार की संलग्न आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि ग्रामसभा की सामान्य अथवा सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। (धारा

02/07/22

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ़,तहसील :कुण्डा
वाद संख्या :-3293/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202570103293
ए०पी० सिंह महाविद्यालय द्वारा प्रबंधक अजीत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य द्वारा जिलाधिकारी आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

77 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 से आच्छादित नहीं है।) कुल भूमि 0.316हे0 भूमि का मूल्यांकन जिलाधिकारी के सर्किल रेट के आधार पर 1200800/- होता है जिस पर 2% उद्घोषणा शुल्क रू0 24016/- जो सरकारी कोष में चालान सं0 5301/01/FT00027 दिनांक 29.06.2022 को जमा किया गया तथा 1% न्याय शुल्क रू0 12008/- होता है जो सरकारी कोष में चालान सं0 5301/01/FT00030 दिनांक 29.06.2022 को जमा किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण शुल्क 1000/- रू0 जो सरकारी कोष में चालान सं0 5301/01/FT00019 दिनांक 29.06.2022 को जमा किया गया। जिसकी जमा रसीद संलग्न पत्रावली है तथा घोषणा पत्र हेतु 20/- रू0 का स्टाम्प पेपर जिस पर 5/- का न्यायालय शुल्क अदा किया गया, जो संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामीला के उपरान्त पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी, वाद निर्विवाद है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है ग्राम–महराजपुर, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा की वर्तमान खतौनी गाटा सं0 99घ/1.265हे0 में से 0.316हे0 संक्रमणीय भूमिधरी भूमि है। उक्त भूमि बाउण्ड्री से घिरी है तथा वादी द्वारा 06 कमरे का निर्माण किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसे अकृषिक/व्यवसायिक/आवासीय घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः वादी ए0पी0 सिंह महाविद्यालय महराजपुर, हथिगवाँ द्वारा प्रबंधक अजीत सिंह सुत दीनानाथ सिंह नि0–भोजपुर, परगना–रामपुर, तहसील–लालगंज अझारा, जनपद–प्रतापगढ़ की भूमि स्थित ग्राम–महराजपुर, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी गाटा सं0 99घ/1.265हे0 में से 0.316हे0 भूमि पर वादी का वाद स्वीकार करते हुए भू–राजस्व से मुक्त करते हुए अकृषिक/व्यवसायिक प्रख्यापित किया जाता है। तहसीलदार कुण्डा की प्रेषित आख्या एवं लेखपाल की अनुकृति आदेश का अंग होगा। पत्रावली में सत्यापित अभिलेखीय आख्या, शपथ पत्रों के

8

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :कुण्डा
वाद संख्या :-3293/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202570103293
ए०पी० सिंह महाविद्यालय द्वारा प्रबंधक अजीत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य द्वारा जिलाधिकारी आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

असत्य / त्रुटिपूर्ण अथवा मिथ्या तथ्य संज्ञान में आने की स्थिति में यह आदेश उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 82 के तहत स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार कुण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश का अनुपालन राजस्व अभिलेखों में कराकर आख्या 15 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक कुण्डा, प्रतापगढ़ को अभिलेखों में अंकन कराने हेतु भेजी जाय। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। अनुपालन कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

01/07/2022

(सतीश चन्द्र त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी,
कुण्डा–प्रतापगढ़

दिनांक :– 01/07/2022

1058
2-7-22
2-7-22
2-7-22
13-07-

3051
12/07/22

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
,मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :कुण्डा
वाद संख्या :-3292/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202570103292
अजीत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य द्वारा जिलाधिकारी आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी अजीत सिंह सुत दीनानाथ सिंह नि0–भोजपुर, परगना–रामपुर, तहसील–लालगंज अझारा, जनपद–प्रतापगढ़ के प्रार्थना पत्र जो आर0सी0 प्रपत्र 25 पर प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि ग्राम–महराजपुर, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा की वर्तमान खतौनी गाटा सं0 99घ/1.265हे0 में से 0.506हे0 संक्रमणीय भूमिधरी भूमि है। उक्त भूमि बाउण्ड्री से घिरी है तथा वादी द्वारा 10 कमरे का निर्माण किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, अभिलेख में वादी का नाम सहखातेदार के रूप से दर्ज है, उक्त भूमि में 0.506हे0 भूमि को वादी द्वारा अकृषिक/व्यवसायिक/आवासीय दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वाद दर्ज कर पक्षों को नोटिस जारी की गयी। जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। तहसील से जाँच आख्या मंगाई गयी। राजस्व लेखपाल की आख्या दिनांक 28.06.2022 राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 29.06.2022 व तहसीलदार कुण्डा की आख्या दिनांक 29.06.2022 शामिल पत्रावली है। जिसमें कहा गया है कि भूमि स्थित ग्राम–महराजपुर, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा की वर्तमान खतौनी गाटा सं0 99घ/1.265हे0 में से 0.506हे0 संक्रमणीय भूमिधरी भूमि है। उक्त भूमि बाउण्ड्री से घिरी है तथा वादी द्वारा 10 कमरे का निर्माण किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके स्थल का फोटोग्राफ भी संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार की संलग्न आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की सम्भावना नहीं है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि हाइवे/किसी प्रयोजन में प्रभावित नहीं है। अभिलेखों तथा तहसीलदार की संलग्न आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि ग्रामसभा की सामान्य अथवा सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। (धारा 77 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 से आच्छादित नहीं है।) कुल भूमि 0.506हे0 भूमि का

02/07/22

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,ज़नपद :प्रतापगढ,तहसील :कुण्डा
वाद संख्या :-3292/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202570103292
अजीत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य द्वारा जिलाधिकारी आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मूल्यांकन जिलाधिकारी के सर्किल रेट के आधार पर 1922800/– होता है जिस पर 2% उद्घोषणा शुल्क रू0 38456/– जो सरकारी कोष में चालान सं0 5301/01/FT00025 दिनांक 29.06.2022 को जमा किया गया तथा 1% न्याय शुल्क रू0 19228/– होता है जो सरकारी कोष में चालान सं0 5301/01/FT00029 दिनांक 29.06.2022 को जमा किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण शुल्क 1000/– रू0 जो सरकारी कोष में चालान सं0 5301/01/FT00020 दिनांक 29.06.2022 को जमा किया गया। जिसकी जमा रसीद संलग्न पत्रावली है तथा घोषणा पत्र हेतु 20/– रू0 का स्टाम्प पेपर जिस पर 5/– का न्यायालय शुल्क अदा किया गया, जो संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामीला के उपरान्त पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी, वाद निर्विवाद है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है ग्राम–महराजपुर, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा की वर्तमान खतौनी गाटा सं0 99घ/1.265हे0 में से 0.506हे0 संक्रमणीय भूमिधरी भूमि है। उक्त भूमि बाउण्ड्री से घिरी है तथा वादी द्वारा 10 कमरे का निर्माण किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसे अकृषिक/व्यवसायिक/आवासीय घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

02/07/22

आदेश

अतः वादी अजीत सिंह सुत दीनानाथ सिंह नि0–भोजपुर, परगना–रामपुर, तहसील–लालगंज अझारा, जनपद–प्रतापगढ़ की भूमि स्थित ग्राम–महराजपुर, परगना–बिहार, तहसील–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी गाटा सं0 99घ/1.265हे0 में से 0.506हे0 भूमि पर वादी का वाद स्वीकार करते हुए भू–राजस्व से मुक्त करते हुए अकृषिक/व्यवसायिक प्रख्यापित किया जाता है। तहसीलदार कुण्डा की प्रेषित आख्या एवं लेखपाल की अनुकृति आदेश का अंग होगा। पत्रावली में सत्यापित अभिलेखीय आख्या, शपथ पत्रों के असत्य/त्रुटिपूर्ण अथवा मिथ्या तथ्य संज्ञान में आने की स्थिति में यह आदेश उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 82 के तहत स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आदेश की

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :कुण्डा
वाद संख्या :-3292/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202570103292
अजीत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य द्वारा जिलाधिकारी आदि
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

प्रमाणित प्रति तहसीलदार कुण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश का अनुपालन राजस्व अभिलेखों में कराकर आख्या 15 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक कुण्डा, प्रतापगढ़ को अभिलेखों में अंकन कराने हेतु भेजी जाय। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। अनुपालन कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

01/07/2022

(सतीश चन्द्र त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी,
कुण्डा–प्रतापगढ़

दिनाँक :- 01/07/2022

1059
2-7-22
2-7-22
2-7-22
1300

3055
02/07/22

पृष्ठ संख्या :